



हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 30.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01.थाना फूलपुर: प्रतिबंधित पशु के अवशेष का 24 के अन्दर सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त को एक ठीहा व चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 28-04-2025 को वादी मुकदमा व030नि0 गंगाराम बिन्द थाना फूलपुर आजमगढ़ के लिखित फर्द के बावत प्रस्थान खुरासो चकशाहकाफी के गाँव के बाहर खेत की तरफ जाने वाली चकरोड़ पर पहुँचा जहाँ पर चकरोड़ पर ही प्रतिबंधित पशु का सिर तथा आगे नाला के किनारे खेत में प्रतिबंधित पशु का खाल आदि अवशेष के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 215/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 दयानन्द को सुपुर्द की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 29-04-2025 को उ0नि0 दयानन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी सतुवहिया थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष व ओमप्रकाश पुत्र हरिलाल निवासी ग्राम पारा फुलवरिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को नहर के पटरी रोड से झकहाँ नहर के पास खड़े ब्यक्तियों से मौके पर एक झोले में रखा लकड़ी का बड़ा ठीहा व एक अदद चापड़ (लोहे का) के साथ समय करीब 14.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान माननीय न्या0 किया गया।

सम्बन्धित अभियोग-

1.मु0अ0सं0 215/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़ आपराधिक इतिहास-

1-सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी सतुवहिया थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

1-मु0अ0सं0 13/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना अहरौला आजमगढ़

2- मु0अ0सं0 20/25 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 थाना कप्तानगंज आजमगढ़

3-मु0अ0सं0 215/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी सतुवहिया थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

2- ओमप्रकाश पुत्र हरिलाल निवासी ग्राम पारा फुलवरिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी-

1. बरामदगी लकड़ी का बड़ा ठीहा व एक अदद चापड़ (लोहे का)



02.थाना- जीयनपुर: छेड़खानी व मारपीट करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास—

दिनांक 30.04.2025 को आवेदिका थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि मेरे व विपक्षी के परिवार से पहले से रंजिश चल रही है दिनांक 29/4/2025 को रियाज के लडके राशिद का जन्मदिन था दावत में तमाम लोग आए थे रात 10 बजे राशिद पुत्र रियाज ,आतिफ पुत्र रियाज, आसिफ पुत्र रियाज, रियाज पुत्र अकबाल निवासीगण ढोलीपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़, शाहरूख अहमद पुत्र मु0 फारूख, मु0 साबिर पुत्र नुरुल्लेन निवासीगण जैदपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़, मु0 फैजान पुत्र मु0 अकरम ग्राम खतीबपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ अब्दुल्लाह पुत्र इश्तियाक ग्राम धौरहरा थाना जीयनपुर आजमगढ़, जैफ उर्फ जकरिया पुत्र एजाज ग्राम बैल बाजार बासूपार थाना जीयनपुर आजमगढ़ व तीन ,चार व्यक्ति और मेरे घर पर आ गये और मुझे और मेरी माँ को गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी व छेड़खानी करने पर गाँव के लोगो ने मार पीट कर पकड़ लिया सूचना किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस को दे दिया और पुलिस मौके पर आ गई और मैं और मेरी माँ तथा गाँव के अन्य लोग पकड़े गए चारों व्यक्तियों के साथ थाने पर आये के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 160/2025 धारा 3(5)/115(2)/352/351(2)/74/76 BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम 1.राशिद पुत्र रियाज 2.आतिफ पुत्र रियाज 3.आसिफ पुत्र रियाज 4.रियाज पुत्र अकबाल निवासीगण ढोलीपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 5.अब्दुल्लाह पुत्र इश्तियाक निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर आजमगढ़ 6.मोहम्मद शाहरूख पुत्र मोहम्मद फारूख 7.मोहम्मद साबिर पुत्र नुरुल्लेन निवासीगण जैदपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ 8.मोहम्मद फैजान पुत्र मोहम्मद अकरम निवासी खतीबपुर जनपद आजमगढ़ 9.जैफ उर्फ जकरिया पुत्र एजाज निवासी बैल बाजार बासूपार थाना जीयनपुर आजमगढ़ 10.तीन चार व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुयी जिसकी विवेचना अमित कुमार वर्मा द्वारा सम्पादित की जा रही है । विवेचना के क्रम में ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण—

दिनांक 30.04.2025 को उ0नि0अमित कुमार वर्मा मय हमराह व संतरी पहरा की देख-रेख में मु0अ0स0 160/2025 धारा 3(5)/115(2)/352/351(2)/74/76 BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.अब्दुल्लाह पुत्र इश्तियाक निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर आजमगढ़ 2.मोहम्मद शाहरूख पुत्र मोहम्मद फारूख 3.मोहम्मद साबिर पुत्र नुरुल्लेन निवासीगण जैदपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ 4.मोहम्मद फैजान पुत्र मोहम्मद अकरम निवासी खतीबपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 1.00 बजे रात्रि थाना हाजा से हिरास्त पुलिस में लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1.अब्दुल्लाह पुत्र इश्तियाक निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष
- 2.मोहम्मद शाहरूख पुत्र मोहम्मद फारूख निवासी जैदपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष
- 3.मोहम्मद साबिर पुत्र नुरुल्लेन निवासी जैदपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष
- 4.मोहम्मद फैजान पुत्र मोहम्मद अकरम निवासी खतीबपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष



03.थाना देवगाँव: हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 29.04.2025 को आवेदिका सुदामा देवी पत्नी रामकरन विश्वकर्मा निवासी ग्राम श्रीकान्तपुर (कसड़े) थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र बाबत वादिनी के पति को पूर्व से रास्ते के विवाद के रंजीश को लेकर पेट्रोल डालकर जला देने जिसे ईलाज के लिये टिकरगाढ़ लालगंज ले जाना जहां डाक्टर द्वारा सदर अस्पताल जौनपुर रेफर करना जहां ईलाज के दौरान पति रामकरन की मृत्यु होने के सम्बन्ध में दाखिल किया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 145/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 बनाम 1.जयप्रकाश उर्फ मुन्ना विश्वकर्मा पुत्र मोलई 2.किशन पुत्र जयप्रकाश उर्फ मुन्ना निवासीगण श्रीकान्तपुर (कसड़े) थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्र0नि0 विमल प्रकाश राय द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 29.04.2025 को प्र0नि0 विमल प्रकाश राय थाना देवगांव आजमगढ़ मय हमराह देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.जयप्रकाश उर्फ मुन्ना विश्वकर्मा पुत्र मोलई 2.किशन पुत्र जयप्रकाश उर्फ मुन्ना निवासीगण श्रीकान्तपुर (कसड़े) थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को श्रीकान्तपुर गेट के पास से समय 17.55 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0सं0 145/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.जयप्रकाश उर्फ मुन्ना विश्वकर्मा पुत्र मोलई निवासी ग्राम श्रीकान्तपुर (कसड़े) थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
 - 2.किशन पुत्र जयप्रकाश उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम श्रीकान्तपुर (कसड़े) थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
- गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 विमल प्रकाश राय मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़



04.थाना – रौनापार: पशु चोरी करने वाले 02 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त बाइक व चाकू के साथ गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

अवगत कराना है कि वादी श्री रामलखन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 झूरी विश्वकर्मा साकिन हाजीपुर झगरगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की लिखित सूचना कि 23.04.2025 को वादी का बकरा घर के सामने रोड के पार चरते समय प्रतिवादीगण द्वारा चुरा लेने जाने के सम्बन्ध में दिय गया। दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 28.04.25 को मु0अ0स0 151/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 1.दानिश पुत्र अदालत 2.नासिर पुत्र वकील साकिनान खोजौली थाना रौनापार आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 30.04.2025 को उ0नि0 अखिलेश कुमार सिंह हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम रामनगर कुकरौछी तिराहा से समय करीब 00.50 बजे रात्रि को अभियुक्त 1.दानिश पुत्र अदालत 2.नासिर पुत्र वकील साकिनान खोजौली थाना रौनापार आजमगढ़ को घटना में प्रयुक्ति मो0सा0सुपर स्पलेण्डर UP50BZxxxx व बकरा काटने में प्रयुक्त चाकू के साथ नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)बीएनएस व 4/25 आयुध अधिनियम की बढोतरी किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.दानिश पुत्र अदालत उम्र करीब 24 वर्ष
 - 2.नासिर पुत्र वकील उम्र करीब 19 वर्ष निवासीगण ग्राम खोजौली थाना रौनापार आजमगढ़
- बरामदगी:- घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू व 01 अदद सुपर स्पलेण्डर मो0सा0 UP50BZ3529

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अखिलेश कुमार सिंह थाना रौनापार आजमगढ़
2. हे0का0 ध्यान प्रकाश यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 रोहित कुमार सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. का0 सत्येन्द्र कुमार यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़



05.थाना रौनापार: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि उ0नि0 श्री विवेक सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम सहनूपुर पुलिया से दिनांक 30.04.25 को समय करीब 03.30 बजे एक नफर अभियुक्त शाहनवाज अख्तर खान पुत्र शाहिद अख्तर खान निवासी घोसी पुरवा नकहा नं0 -1 थाना चिलुवाताल जनपद गोरखपुर उम्र -36 वर्ष को एक अदद देशी तमंचा .315बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0सं0 155/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- शाहनवाज अख्तर खान पुत्र शाहिद अख्तर खान निवासी घोसी पुरवा नकहा नं0 -1 थाना चिलुवाताल जनपद गोरखपुर उम्र -36 वर्ष बरामदगी-

1-एक अदद देशी तमंचा .315बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज अभियुक्त के पास से बरामदा।



06.थाना- बरदह: अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.04.24 को उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति विशाल यादव पुत्र कान्ता यादव निवासी जिरिकपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को एक अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर को अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का बोध कराते हुए समय करीब 04.50 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- विशाल यादव पुत्र कान्ता यादव निवासी जिरिकपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष
बरामदगी का विवरण:-

1-एक अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0-115/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 79/24 धारा 308, 323, 34, 504, 506 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 115/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 संजय कुमार थाना बरदह, आजमगढ़

2. उ0नि0 अम्बुज कुमार राही थाना बरदह, आजमगढ़

3. का0 ललित सरोज थाना बरदह, आजमगढ़

4. का0 सूरज थाना बरदह, आजमगढ़



प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद से 01 उप-निरीक्षक हुए सेवानिवृत्त

आज दिनांक- 30.04.2025 को जनपद आजमगढ़ पुलिस से 01 उप-निरीक्षक राकेश कुमार सिंह (पुलिस लाइन्स आजमगढ़) सेवानिवृत्त हुए, जिनकी विदाई का कार्यक्रम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद आजमगढ़ में आयोजित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल द्वारा सेवानिवृत्त उप-निरीक्षक को सम्मान पूर्वक मिठाई और गले में फूल माला पहनाकर व मोमेन्टो देकर विदाई की गई, सेवानिवृत्त हुए उप-निरीक्षक को उनके आने वाले भविष्य के लिए स्वास्थ्यता की कामना की गयी। उक्त कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

